न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 21/2021
जीसीएमएस नम्बर :: 2021/217

अपीलाण्ट :–
श्रीमती जगुदेवी पुत्री पतीया (प्रतापराम) पत्नी बाबूलाल जाति सैन हाल निवासी राजेन्द्र नगर विस्तार, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. भीमाराम पुत्र पतीया (प्रतापराम) जाति सैन, निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली
2. लक्ष्मणराम पुत्र पतीया (प्रतापराम), जाति सैन, निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली
3. श्रीमती पार्वती पुत्री पतीया (प्रतापराम) पत्नी नाथूराम जाति सैन निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली
4. श्रीमती गीता पुत्री पतीया (प्रतापराम) पत्नी घेवरजी जाति सैन निवासी गढ़वाड़ा, तहसील रोहट जिला पाली
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह राजपुरोहित
रेस्पो. संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **28.07.2025**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 545 दिनांक 03.01.2001 को निरस्त कराने बाबत् पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राजपुरोहित व रेस्पो. संख्या 02 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा उपस्थित हुए व शेष रेस्पोडेण्ट्स बाद तामिल वक्त बहस न्यायालय समय में बार बार आवाजे दिलाये जाने पर अनुपस्थित आये। बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट के पिता के देहान्त के बाद विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 लगायत रेस्पो. संख्या 04 प्रथम श्रेणी के वारिस होने के बावजूद मात्र उनके भाइयों रेस्पो. संख्या 01 व रेस्पो. संख्या 02 के नाम जैर नामान्तकरण भर दिया जो काबिले खारिज है। जैर आराजी अपीलाण्ट के मालिकाना हक अधिकार व आधिपत्य की भूमि है, तथा अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि का लगातार नियमित रूप से उपयोग उपभोग भी किया गया व जैर नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया जिससे भी जैर नामान्तरकरण काबिले खारिज है। अतः जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 02 ने वक्त बहस अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण नियमानुसार ही स्वीकृत किया गया है जो विधिनुसार ही है। अतः जैर अपील सव्यय खारिज फरमावे।

अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र एवं वर्णित तथ्यों के आधार पर हम प्रार्थना–पत्र एवं शपथ पत्र को अखंडित मानते हुए मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन किया। प्रकरण में अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 03 व 04 जो कि मृतक पतीया (प्रतापराम) की पुत्रियां है उनके द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 545 दिनांक 03.10.2001 को उनके प्रथम श्रेणी के हिन्दु उत्तराधिकारी होने के कारण खारिज किया जाकर उनका भी नाम विरासत में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के अनुसार मृतक की सम्पति में पुत्री का हक भी होता है जिससे जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है। स्पष्टतया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 545 दिनांक 03.10.2001 विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतएव जैर नामान्तरकरण को अपास्त किया जाकर तहसीलदार, रोहट को प्रति प्रेषित कर निर्देशित करते है कि प्रकरण में मृतक पतीया (प्रतापराम) के विधिक वारिसान् की उचित जांच कर सभी पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.09.2025 को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहें।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक **28.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली